किसी भी राष्ट्र का भविष्य और वैश्विक बाजार में मुकाबला करने की उसकी क्षमता बहुत सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए विचार और नवाचार कैसे पैदा करता है। वैश्विक ज्ञान–आधारित प्रतियोगिता में बौद्धिक संपदा सृजन और संरक्षण महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों ने गहन क्षमता निर्माण प्रयासों के जरिए अपनी–अपनी आईपीआर प्रणालियों में सुधार किया है जिससे कि और अधिक नवाचार प्राप्त किया जा सके। एक विश्वस्तरीय आईपीआर आधारिक–तंत्र का निर्माण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईपीआर का प्रयोग और अधिक विस्तृत नवाचारी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी अंतरण, संपदा सृजन और समाज के समग्र प्रभाव के लिए सर्वोत्तम राष्ट्रीय हितों के वास्ते किया जाता है। भारत के लिए अपने प्रयासों की मात्रा बढ़ाए जाने की जरूरत है। विभिन्न हितधारकों के साथ आयोग के परामर्श से ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिली है जोकि इस तरह के व्यवस्थागत सुधार को सुविधापूर्ण बनाएंगे। इनमें से कुछ क्षेत्रों में उत्पाद और प्रक्रिया पेटेंट मंजूर किए जाने होते हैं जिनमें करार दायित्वों और राष्ट्रीय हितों–दोनों को ध्यान में रखते हुए पेटेंट परीक्षण के लिए राज्य तंत्र का विन्यास तथा पेटेंट परीक्षण के मूलभूत परिप्रेक्ष्य के व्यवस्थाकरण महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में ये शामिल हैं: ज्ञान और आविष्कार के सृजन और आदान–प्रदान के लिए वैकल्पिक गैर–पेटेंट प्रविधियां। नीचे एक क्षेत्र अर्थात पेटेंट परीक्षण तंत्रों के विन्यास पर पेटेंट उपयोग में संबद्ध मुद्दों के किंचित संदर्भ में चर्चा की गई है।

1. आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण

1.1 आईपी कार्यालयों की प्रक्रियाएं अधिक सुलभ और प्रयोक्ता अनुकूल बनाए जाने की जरूरत है और इसलिए पेटेंट कार्यालयों के आधुनिकीकरण की दिशा में सभी प्रयासों का अंतिम लक्ष्य अन्वेषक और साथ ही आम आदमी के लिए और अधिक पारदर्शिता तथा क्रियाविधिक सहजता को सुविधापूर्ण बनाना है। आयोग को इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित पहलों, विशेष रूप से आधारिक–तंत्र के आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, डिजिटिकरण, ई–फाइलिंग, सूचना प्रौद्योगिकी एकीकरण से क्रियाविधियों की पुनःइंजीनियरी, मानव संसाधन विकास, प्रभाविता, क्रियाविधियों की पारदर्शिता तथा वैश्विक स्तर के एक प्रचालनात्मक वातावरण के निर्माण से संबंधित पहलों के बारे में पता है। यदि आईपी कार्यालयों को अपने आपको अधिकतम प्रभाविता और सर्वोच्च स्तर के समाधान प्रस्तुत करने वाले सेवाप्रदाताओं के रूप में परिवर्तित होना है तो प्रतिदिन हर व्यक्ति की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं:

- पेटेंट कार्यालयों को समुचित खोज सुविधाओं सहित वास्तविक समय में उपयुक्त रूप से ई–समर्थित किया जाना जरूरी है जिससे कि सभी आदान–प्रदान पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से सुलभ हों।
- आईपी कार्यालयों में परीक्षण क्रियाविधियां, परिपाटियां और निर्णय युक्तियुक्त तथा संगत होने चाहिए।
- देश की सभी संगत आईपी विधियों की पूर्ण पाठ्य सामग्री सहित परीक्षण क्रियाविधियों और परिपाटियों की एक नई विस्तृत और स्पष्ट नियमपुस्तिका तैयार की जानी चाहिए, उसे समय–समय पर अद्यतन बनाया जाना चाहिए और उसे साट तथा हार्ड प्रति में जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नियमपुस्तक तैयार करने के इस काम में दिलचस्पी रखने वाले पणधारियों, विशेष रूप से प्रमुख पणधारियों के रूप में सिविल समाज को शामिल किया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि नई भारतीय पेटेंट परीक्षण क्रियाविधियां दिमाग में संधि दायित्वों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी होंगी और पेटेंट परीक्षण की एक विरोधी प्रक्रिया का सृजन इन क्रियाविधियों में महत्वपूर्ण होगा।
- आईपी (विभिन्न विषयों पर आईपी विधि की मौजूदा स्थिति सहित) संबंधी जनजागरूकता के लिए एक शैक्षिक खंड देश की सभी सरकारी भाषाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- पेटेंट मंजूर करने वाली क्रियाविधि में पूर्ण ब्यौरों सहित एक आवेदन–पत्र की समुचित वेब–आधारित अधिसूचना शामिल होनी चाहिए जिससे कि मंजूर किए जाने से पहले किसी भी प्रकार की आपत्तियां दायर करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया हो। पेटेंट आवेदन–पत्रों के सभी उपायों को, विस्तृत परियोजना विवरण, प्रत्येक अवस्था में परीक्षण रिपोर्टों और विभिन्न बिंदुओं पर जारी किए गए सभी संशोधनों तक के सभी उपायों को वास्तविक समय में ई–सुलभता उपलबध कराई जानी विशेष रूप से जरूरी है, जिससे कि पूर्ण पारदर्शिता रखी जा सके।
- एक ऐसे व्यापक पेटेंट डाटाबेस तैयार किए जाने की तत्काल जरूरत है जो पेटेंट अनुप्रयोगों और पेटेंट कार्यालयों के निर्णयों सहित पेटेंटों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करता हो। इसके साथ–साथ पेटेंट कार्यालयों के पास पूर्व कला साहित्य से युक्त डाटाबेसों सहित संगत अंतर्राष्ट्रीय डाटाबेसों और सर्च इंजनों की सुलभता होनी चाहिए।
- गुणवत्ता और सुलभता में सर्वोत्तम वैश्विक मानक प्राप्त करने के लिए आईपी कार्यालयों को पीसीटी के अधीन अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) तथा अंतर्राष्ट्रीय

प्रारंभिक जांच प्राधिकरण (आईपीईए) बनने का लक्ष्य रखना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए उनका लक्ष्य प्रलेखन, प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टि से योग्य स्टाफ की संख्या तथा आईटी समर्थन प्रणालियों के न्यूनतम का स्वामित्व अथवा सुलभता को लेकर पीसीटी मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

- साथ ही गुणवत्ता और प्रभाविता को मापने, मानीटरन और प्रबंध करने के लिए परिमाणात्मक सूचक तैयार किए जाने की दिशा में भी प्रयास किए जाने चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईपी कार्यालयों की सेवाएं ग्रामीण प्रौद्योगिकियों, शिल्पकारिता, दस्तकारी और परंपरागत ज्ञान में प्रवृत्त आम आदमी तक पहुंच सके, पेटेंट कार्यालयों में परंपरागत ज्ञान के विभिन्न रूपों में सृजन और संरक्षण से संबंधित दावों से निपटने के लिए पेटेंट कार्यालयों में विशेष स्कीमें और स्थापनाएं होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के समूहों के लिए प्रभावी तथा सक्षम कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना एक बड़ी समस्या होती है, इसलिए ऐसे तंत्र निर्मित किए जाने चाहिए जोकि देश में सर्वोत्तम पेटेंट वकीलों के इस तरह के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करें।
- अत्यंत तकनीकी पेटेंटों के प्रत्येक क्षेत्र के लिए पेटेंट कार्यालय में पेटेंट मूल्यांकन प्रक्रिया के एक अंग के रूप में विशिष्ट अधिकारप्राप्त समितियों का गठन करना जरूरी है जिससे कि कानून के प्रावधानों के अनुसार कोई पेटेंट मंजूर करने के लिए उपयुक्तता के बारे में निर्णय लिया जा सके। इन समितियों को परीक्षण की कठोर समयबद्ध क्रियाविधियों का पालन करना चाहिए और साथ ही समुचित सुरक्षापायों को बनाए रखना चाहिए जिससे कि गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके और प्रक्रिया में किसी तरह का उलटाव न आए।

2. उत्तम प्रतिभा को आकृष्ट और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन तंत्र

2.1 सक्षम कार्मिकों को आकृष्ट करने और बनाए रखने के लिए आईपी कार्यालयों के भीतर प्रतिभावान स्टाफ के लिए फास्ट ट्रैक कैरियर संरचनाओं सहित मानव संसाधन प्रबंध की एक प्रोत्साहनचालित प्रणाली तैयार की जानी चाहिए। क्योंकि योग्य वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकृष्ट करने में आईपी कार्यालयों को निजी उद्योग के साथ मुकाबला करना होगा, इसलिए उन्हें सक्रिय रूप से ख्यातिप्राप्त संस्थानों तक पहुंचना होगा। पेटेंट परीक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के वैज्ञानिक/तकनीकी ज्ञान, इस तरह के ज्ञान के व्यवहारिक अनुभव, विवेचनात्मक विश्लेषण, लिखित तथा मौखिक संचार कौशल और समस्या समाधान जैसे कौशलों के समूह की परीक्षा ली जानी चाहिए। इसके अलावा सभी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के कार्मिकों की नियुक्ति आवधिक रूप से एक निदर्शी बेंचमार्क, क्षेत्र में आवेदन–पत्रों और मंजूरियों की संख्या को एक निदर्शी बेंचमार्क मानते हुए ऐसे ढंग से की जानी चाहिए जोकि प्रत्येक क्षेत्र का समुचित आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हो।

2.2 वैज्ञानिक/तकनीकी संस्थानों तथा निजी क्षेत्र में प्रशिक्षित परीक्षकों के नौकरी छोड़ कर चले जाने की मौजूदा समस्या से निपटने के लिए नमनशील पूरक स्कीम जोकि समूह ए के वैज्ञानिक और तकनीकी समूह ए पदों के लिए लागू की गई है उसे आईपी कार्यालयों के तकनीकी स्टाफ के लिए भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पेटेंट परीक्षकों के वेतनमान, उनके मामले में बढ़ा दिए जाने चाहिए जो आईपीआर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा जो सतत रूप से औसत की तुलना में असाधारण रूप से बेहतर निष्पादन का परिचय देते हैं, ऐसे परीक्षकों के लिए एक त्वरित कैरियर का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए एक पारदर्शी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि आईपी कार्यालयों में निष्पादन आवेदनों की अस्वीकृतियों/स्वीकृतियों की दर के आधार पर नहीं, बल्कि आवेदनों और निर्णयों के को पूरा करने में लगने वाले समय और साथ ही लिए गए निर्णयों की संधारणीयता और वैधता के आधार पर मापा जाए।

3. आईपी कार्यालयों के लिए प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

3.1 आईपी कार्यालयों और बौद्धिक संपदा प्रशिक्षण संस्थान (आईपीटीआई) में नए स्टाफ के लिए प्रवेश सत्रों, मध्य कैरियर पाठ्यक्रमों और जहां कहीं उपलब्ध हों वहां सर्वोत्तम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए आईपीआर में वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों से नियमित परिचय सहित आईपीआर प्रशिक्षण प्रयासों में तेजी लाए जाने की जरूरत है। इसके साथ–साथ प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी के बीच हितों के मुद्दों के बीच संभावित विरोध से बचने के लिए संगत सुरक्षोपाय क्रियाविधि भी होनी चाहिए। आईपीआर प्रशिक्षण का सर्वोपरि लक्ष्य सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कानूनी और प्रौद्योगिकीय क्षमता सुनिश्चित करना है। आईपी कार्यालय कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए एक आंतरिक व्यावसायिक प्रशिक्षण समिति (पीडीसी) का भी गठन किया जाना चाहिए। इस पीडीसी को आईपी कार्यालयों की प्रशिक्षण जरूरतों का पता लगाना चाहिए और अद्यतन आईपी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईपीटीआई के साथ सहयोग करना चाहिए। भारत में और विदेशों में स्थित ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों को, जिन्हें पेटेंट परीक्षण प्रक्रियाओं में अनुभव प्राप्त है भारतीय पेटेंट परीक्षकों के साथ प्रशिक्षण पहलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। तथापि, नवीन भारत–विशिष्ट संधि–अनुवर्ती पेटेंट परीक्षण क्रियाविधियों में जिनकी नए आईपी कार्यालयों के लिए जरूरत होगी, आईपी विनियामक स्टाफ को प्रशिक्षित करने और संवेदनशील बनाने के लिए देश के भीतर तत्काल विशेषज्ञता विकसित की जानी चाहिए।

3.2 आईपीटीआई को हितधारकों के सक्रिय सहयोग से नए पेटेंट परीक्षकों के लिए विभिन्न आईपी विषयों पर जैसेकि पेटेंट खोजें (अंतर्राष्ट्रीय डाटाबेस सहित), किसी आवेदन की पेटेंट योग्यता के लिए मूलभूत अपेक्षाओं, किसी पेटेंट को मंजूर करने के लिए परीक्षण क्रियाविधि और साथ ही आपत्तियों का मसौदा लिखने, जिसमें कि आपत्तियों के मानक खंडों की एक सूची दी जाती है, एक व्यापक प्रवेश–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। इस तरह का पाठ्यक्रम 3/6 महीने की अवधि का हो सकता है। पाठ्यक्रम सामग्री मानकीकृत की जानी चाहिए और वह इंटरनेट पर उपलब्ध कराई जा सकती है। एक बार पुनः नई भारत–विशिष्ट संधि–अनुवर्ती पेटेंट परीक्षण प्रक्रिया की विरोधी प्रकृति को बनाए रखने के लिए क्रियाविधियां इन कार्यक्रमों का एक प्रमुख घटक बनाई जानी चाहिए।

प्रवेश–प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा कर लेने पर एक वरिष्ठ पेटेंट परीक्षक को प्रत्येक परीक्षक के साथ एक प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में आबंटित किया जा सकता है जोकि कार्य का पर्यवेक्षण करके, मामले–वार और आगे प्रशिक्षण प्रदान करके और अंततः परीक्षक के कार्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करके एक परामर्शदाता के रूप में काम करेगा। इस तरह की प्रशिक्षण की अवधि लगभग छः महीने की हो सकती है। आईपीटीआई को 1 वर्ष से लेकर 18 महीने के बाद परीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय आईपीआर मुद्दों पर उत्तम स्तर के पाठ्यक्रमों की पेशकश करनी चाहिए जिनमें मंजूरी से पूर्व और मंजूरी के बाद की विरोधी क्रियाविधियों संबंधी पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

आईपीटीआई को आईपीआर में विशेषज्ञतापूर्ण प्रमाण–पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने और आईपी कार्यालयों के समक्ष काम करने के लिए एक पेटेंट अटार्नी के वास्ते अर्हक परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विधिक संस्थानों और संगठनों के साथ भी सहयोग करना चाहिए। ऐसा करने से उच्चतम व्यावसायिक मानकों का रखरखाव सुनिश्चित हो सकेगा। इस प्रयोजन के लिए समुचित सरकारी–निजी भागीदारी (पीपीपी) भी निर्मित की जा सकती है।

4. आईपीआर शिक्षा तथा आईपीआर सेलों का गठन

4.1 आईपीआर संबंधी शैक्षिक प्रयास आईपी कार्यालयों से आगे जाने चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, उद्योग, बार में कार्यरत वैज्ञानिकों और इंजीनियरों और साथ ही केवल महानगर क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि देश के छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद शोधकर्ताओं और छात्रों तक पहुंचना चाहिए। समूचे देश के भीतर विधि स्कूलों को भी आईपीआर के संबंध में विशेषज्ञतापूर्ण अद्यतन पाठ्यक्रम और कार्यक्रम तैयार करने चाहिए और विषय पर संकाय पीठों की स्थापना में भी शिक्षाविदों के लिए बेहतर प्रोत्साहनों के माध्यम से तेजी लाई जानी चाहिए। व्यापार स्कूलों को भी अपनी पाठ्यचर्या में आईपीआर आयाम शामिल करने की जरूरत है।

4.2 देश के भीतर प्रमुख वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षित स्टाफ, विधि तथा संगत विषयक्षेत्रों के तकनीकी पक्षों में सक्षम स्टाफ सहित आईपीआर सेल स्थापित करने की तत्काल जरूरत है।

5. जिन बिंदुओं पर आम आदमी का वास्ता पड़ता है, उनसे संबंधित नीति विशेषज्ञता के लिए नए संस्थान की स्थापना

5.1 21वीं शताब्दी के लिए आईपीआर क्षमता निर्माण की मात्र जटिलता और मात्रा की दृष्टि से नितांत रूप से आईपी क्षेत्र के प्रति समर्पित एक स्वतंत्र विश्वस्तरीय संस्थान की जरूरत है। नई दिल्ली में स्थापित हो जाने के बाद राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंध संस्थान (एनआईआईपीएम) विभिन्न हितधारकों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने, जहां आम आदमी का वास्ता पड़ता है वहां अनुसंधान आयोजित करने, आईपीआर मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक चिंतन–कोष के रूप में काम करने और साथ ही आईपीआर के बारे में जनजागरूकता पैदा करने के लिए जिम्मेदार होगा। एनआईआईपीएम की स्थापना की लिए प्रमुख प्राचलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधारिक तंत्र की स्थापना, मानव संसाधन विशेषज्ञता तथा वित्त से संबंधित पक्षों का विकास शामिल है। प्रारंभ में एनआईआईपीएम का वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। धीरे–धीरे सरकारी–निजी भागीदारी तथा अन्य नवाचारी वित्तीय तंत्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अर्जित आय के माध्यम से दीर्घकालीन आधार पर आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इस तरह के संस्थान के अधिदेश में पेटेंट परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधियों पर नीतिगत अनुसंधान अवश्य शामिल होना चाहिए जिससे कि इन क्रियाविधियों के आवधिक संशोधन के लिए महत्वपूर्ण आधार पैदा किए जा सकें। साथ ही इस अधिदेश को बौद्धिक संपदा प्रबंध के लिए पेटेंटोन्मुखी प्रक्रिया के सीमित क्षेत्र के पार निकलना चाहिए और इसे कापीराइटों और कामनों जैसे तंत्रों के माध्यम से ज्ञान और आविष्कारों के सामाजिक प्रयोग के लिए अन्य प्रविधियों की नए ढंग से व्यवस्थित खोज की ओर ध्यान देना चाहिए।

6. आईपीआर न्यायाधिकरण, क्रियाविधियों की विशेष नियमावली और न्यायिक प्रशिक्षण

6.1 एक मजबूत आईपीआर व्यवस्था के लिए प्रभावी प्रवर्तन एक अनिवार्य तत्व है। आईपीआर मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए तात्कालिक मांगों सहित विधि के भीतर एक विशेषज्ञतापूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। आईपीआर के सभी पक्षों से संबंधित विवादों के अधिकार–क्षेत्र सहित एक अलग न्यायाधिकरण स्थापित करना तथा ऐसे सक्षम न्यायाधीशों का एक पूल जोकि आईपीआर के कानूनी और साथ ही तकनीकी पक्षों में प्रशिक्षित हों विकसित करना जरूरी हो गया है। आईपीआर न्यायाधिकरण को आईपी कार्यालयों

के निर्णयों से उत्पन्न होने वाली अपीलों का निपटान करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। ऐसी अपीलों के मामले में, जिनमें निर्णय लिए जाने वाले मुद्दों में तकनीकी विषय जुड़े हुए हैं, न्यायाधिकरण को तीन न्यायाधीशों से युक्त होना चाहिए जोकि कानून में पर्याप्त अनुभव रखते हों और जिनमें कम से कम दो के पास तकनीकी योग्यता भी उपलब्ध हो।

6.2 अनुचित देरी और कानूनी अनिश्चितताओं से बचने के लिए आईपीआर न्यायाधिकरण के लिए सिविल समाज सहित पणधारियों के साथ परामर्श करने के बाद नियत समय–सीमाओं सहित विस्तृत और युक्तियुक्त क्रियाविधियां तैयार की जानी चाहिए। इन क्रियाविधियों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।

6.3 आईपीआर में न्यायपालिका के प्रशिक्षण को एक अनिवार्य आईपीआर प्रवर्तन मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी पहले से ही आईपीआर सहित बहुविध क्षेत्रों में न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करने में प्रवृत्त है। इस तरह के प्रशिक्षण प्रयासों में तेजी लाई जानी चाहिए और एनआईआईपीएम की स्थापना इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई होगी।

7. परंपरागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टीकेडीएल) के माध्यम से परंपरागत ज्ञान (टीके) का संरक्षण । तथा टीके से संपदा सृजन के लिए प्रोत्साहनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

7.1 टीकेडीएल डाटाबेस का सृजन देश के परंपरागत ज्ञान को संहिताबद्ध और वर्गीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जबकि दुर्विनियोजन तथा "गलत पेटेंटों" की मंजूरी को रोकने और साथ ही नवाचार तथा संपदा सृजन के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराने में टीकेडीएल की महत्वपूर्ण भूमिका को अधिकाधिक मान्यता मिल रही है, यहां मुख्य चुनौती इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने की है।

7.2 भारत सरकार ने भी खोज और जांच के प्रयोजन के लिए अ–प्रकटन समझौतों के अधीन कुछेक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों को टीकेडीएल डाटाबेस की सुलभता प्रदान करने के लिए पहले ही उपाय किए हैं। अब जरूरत इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरणों तथा अन्य पेटेंट कार्यालयों में पेटेंट आवेदन–पत्रों पर कार्रवाई करते समय न्यूनतम खोज प्रलेखन सूचियों में टीकेडीएल के प्रयोग और समावेशन के लिए उपाय किए जाएं। इसके अलावा दुर्विनियोजन को रोकने और अधिक पारदर्शिता को सुविधापूर्ण बनाने के लिए पेटेंट आवेदन–पत्रों में टीके से संबंधित जानकारी के सभी प्रमुख स्रोत प्रकट और घोषित करना भी जरूरी है।

7.3 टीके के वाणिज्यीकरण के लिए प्रोत्साहनों का सृजन करने के वास्ते कंपनियों के लिए समुचित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान करने और इस शर्त के अध्यधीन कि टीकेडीएल से उभरने वाले आविष्कारों के मामले में रायल्टी की सरकार के साथ साझेदारी जरूरी होगी, टीकेडीएल की सुलभता उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही सरकार को उद्योग और सिविल समाज के साथ सहयोगात्मक प्रयासों के जरिए टीके में निवेशों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सक्रिय प्रयास भी करने चाहिए। नवाचारी वित्तीय तंत्र विकसित किए जाने चाहिए, जिससे कि टीकेडीएल के वाणिज्यीकरण तथा वाणिज्यिक दृष्टि से अन्य सहक्रियात्मक पहलों से सृजित आय का प्रयोग एक टीके विकास निधि का सृजन करने के लिए किया जा सके। निधि से प्राप्त होने वाली राशि का प्रयोग आमतौर पर टीके का संरक्षण करने, टीके पर अनुसंधान करने, टीकेडीएल का विस्तार करने तथा जिन समुदायों ने टीके के सृजन में योगदान दिया है उन्हें लाभान्वित करने के लिए किया जाएगा।

8. आईपी तथा लघु और मझोले उद्यम (एसएमई)

8.1 सरकारी स्तर पर एसएमई की आईपी जरूरतों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। कारोबारी अवसरों को बढ़ावा देने और संपदा सृजन के योग्य बनने के एक साधन के रूप में आईपी का सृजन करने, प्रबंध करने, संरक्षित करने और लाभ उठाने के सामरिक पक्षों के बारे में बेहतर जागरूकता सुविधापूर्ण बनाए जाने की जरूरत है। वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में एसएमई प्रमुखकर्ताओं के रूप में उभर रहे हैं और उनके पास आईपी के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए विशाल कंपनियों की भांति आवश्यक संसाधन नहीं भी हो सकते। इस संबंध में एसएमई के लिए विशेष जागरूकता अभियान जरूरी है जिससे कि वे आईपी विभिन्न प्रभावों के बारे में पूरी तरह जागरूक हो सकें और इस तरह के अपने बोध को इष्टतम तरीके से अपने रोजमर्रा के कारोबार संबंधी व्यवहार में अपना सकें।

9. वैश्विक प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि

9.1 प्रौद्योगिकी की एक उच्च शक्ति के रूप में भारत की सामरिक स्थिति केवल स्वदेशी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता के विकास पर ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिग्रहण करने की योग्यता पर भी निर्भर करेगी। जापान और कोरिया जैसे देशों ने अपने आईपी पोर्टफोलियो के विस्तार के लिए इस तरह के अधिग्रहणों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है तथा कुछ भारतीय कंपनियां, ने विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल और जैव–प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पहले से ही इस तरह के अधिग्रहणों में प्रवृत्त हैं। तथापि, इस तरह के उदाहरण छिटपुट हैं और प्रमुख क्षेत्रों में हमारी विशेषज्ञता में छलांग लगाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी अधिग्रहण पर एक राष्ट्रीय कार्यनीति की जरूरत है। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित वैश्विक प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि विशेष रूप से एसएमई के लिए इस तरह के अधिग्रहणों को सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। निधियां किसी वित्तीय संस्थान में जमा की जा सकती हैं अथवा इनकी देखभाल के लिए किसी विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का सृजन

किया जा सकता है जिसमें उद्योग तथा एस और टी के सदस्य बोर्ड सदस्यों के रूप में आमंत्रित हो। इस तरह के प्रौद्योगिकी त्वरण अधिग्रहण के लिए ऋणों और इक्विटी के रूप में समर्थन सहित संगत वित्तीय प्रपत्र तैयार किए जा सकते हैं।

10. आईपीआर तथा नई प्रौद्योगिकियां

10.1 तकनीकी संस्थानों, वैज्ञानिकों, परीक्षकों तथा अन्य संगत पणधारियों के लिए विशेष रूप से आईसीटी, जैव–प्रौद्योगिकी, नैनो–प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, इंजीनियरी, जैव सूचना विज्ञान आदि में नई और तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकियों के आईपीआर आयामों के बारे में पूर्णतः अवगत होना जरूरी है। अतः ऐसे उच्चाधिकारप्राप्त विशेषज्ञ निकायों की जरूरत है जोकि इस तरह के क्षेत्रों से उभरने वाले आईपीआर मुद्दों की पहचान करने में मदद कर सकें जिससे कि ऐसी जरूरी आईपीआर नीतियां तैयार की जा सकें जोकि भारतीय उद्योग के लिए वैश्विक प्रतियोगिता को इष्टतम बढ़ावा देंगी और साथ ही नवाचार, संपदा सृजन तथा समग्र विकास भी सुनिश्चित करेंगी।